जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को कारावास

श्रावस्ती। जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।

न्यायालय में बिचाराधीन मामला के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस की ओर से ऑपरेशन कनविक्शन चलाया जा रहा है। एसपी की ओर से चिन्हित महत्वपूर्ण अपराधों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सबंधित थानायक्षों को पैरवी कर सजा दिलाने को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में थाना गिलौला में दर्ज जानलेवा हमले के मामले में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार की ओर से पैरवी की जा रही थी। गुरुवार को न्यायालय की ओर से मामले के तीन आरोपियों ओमकार नाई पुत्र जोगी, शीतल व सीताराम पुत्रगण मुनीजर निवासीगण ककरा नेवादा थाना गिलौला को तीन-तीन साल साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। वर्ष 2002 में तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।